



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-15072026-274512
CG-JH-E-15072026-274512

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560]
No. 560]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनवाद, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 618(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के उप-नियम (3) के तहत मुझे मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (और खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित), एतद्वारा, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता, 2020 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत स्थापित प्रशिक्षण केंद्र के लिए अनुमोदन को इस प्रकार निर्दिष्ट करता हूँ:

दायरा: ये मानक उस बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को निर्दिष्ट करते हैं जो उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत स्थापित प्रशिक्षण केंद्र में होने चाहिए, ताकि उसे उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के तहत खानों में कार्यरत लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की अनुमोदित की जा सके।

लागू होना: ये मानक उन सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होंगे जो उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत स्थापित हैं और जिन्हें उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के उप-नियम (3) के तहत खानों में कार्यरत लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए भी मंजूरी दी गई है।

अनुपालन की आवश्यकता:

i. प्रशिक्षण केंद्र में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 164 के तहत निर्दिष्ट कर्मचारी, उपकरण और अन्य सुविधाएँ होनी चाहिए।

[फा. सं. डीजीएमएस/03-2/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Directorate General of Mines Safety)****NOTIFICATION**

Dhanbad, the 10th July, 2026

G.S.R. 618(E).—In exercise of the powers conferred on me under sub Rule (3) of Rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the approval for training centre established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, is as follows:

Scope: These standards specify the infrastructure and facilities which must be there in a training centre established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, for granting it approval to impart vocational training to the persons employed in mines required under the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: These standards shall be applicable to all the training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, which are granted approval under Rule (3) of 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for also imparting vocational training to the persons employed in mines.

Compliance Requirement:

i. The training centre shall have staff, equipment and other facilities as specified under Rule 164 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

[F. No. DGMS/03-2/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines